समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री राम नारायण मंडल पे0 स्व0 ब्रीज बिहारी मंडल, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा, सम्प्रति वाटिकापुरी, रुकूनपुरा, अम्बेदकर पथ, पटना-14 ने अपना आवेदन पत्र दिनांक 30-01-2014 को समर्पित कर अपने एन0पी0बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-19/2003(मधेपुरा थाना) का स्थानान्तरण जिला दंडाधिकारी, पटना के कार्यालय में करने हेतु अनुरोध किया गया है। श्री मंडल द्वारा उपस्थित होकर पूर्व निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 274 दिनांक 12-12-2013 के द्वारा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को शस्त्र नियमावली के नियम 63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त सं0-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए निलंबित कर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसके अनुपालन में अनुज्ञप्तिधारी स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण बायोडाटा सहित समर्पित कर दिनांक 30-01-2014 को शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण करवा लिये हैं।

अतएव अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचार करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 274 दिनांक 12-12-2013 से निलंबित किए गए एन0पी0बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति सं0-19/2003(मधेपुरा थाना) को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए इस शर्त्त के साथ निलंबन से मुक्त किया जाता है कि वे इसकी पुनर्रावृति नहीं करेंगे। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन के आधार पर इनके अनुज्ञप्ति को स्थायी रूप से नवीकरण एवं निरीक्षण कराने हेतु जिला दंडाधिकारी, पटना के नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में उक्त आशय की सूचना प्रवृष्टि करवा कर तत्संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Sd/- 12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 87 /शस्त्र, दिनांक 12-03-2014

प्रतिलिपि : जिला दंडाधिकारी, पटना/ पुलिस अधीक्षक, पटना/ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री राम नारायण मंडल पे0 स्व0 ब्रीज बिहारी मंडल, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा, सम्प्रति वाटिकापुरी, रुकूनपुरा, अम्बेदकर पथ, पटना-14 को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 12/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।